परिपत्र संख्या 10/17

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, "पंजीयन भवन, लोहागल-जनाना अस्पताल रोड़ (सीकर रोड़)", राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः F-7(652)विधि/17-2536 दिनांकः 16.8.17

समस्त उप पंजीयकगण,
(राजस्थान)

विषयः- राजस्थान कर बोर्ड अजमेर के यहां विचाराधीन स्टाम्प रिवीजन की नवीनतम स्थिति की जानकारी एवं पारित निर्णय की सूचना भिजवाने बाबत।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-65 के तहत् चीफ कन्ट्रोलिग रेवन्यू ऑथरिटी अर्थात राजस्थान कर बोर्ड अजमेर के यहाँ कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा पारित निर्णयों के विरूद्ध स्टाम्प रिवीजन प्रस्तुत की जाती है। उक्त स्टाम्प रिवीजन राज्यपक्ष की ओर से एवं निजी पक्षकारों के द्वारा पेश की जाती है। स्टाम्प रिवीजन में कलक्टर (मुद्रांक) के साथ-साथ उप पंजीयक को भी पक्षकार के रूप में शामिल किया जाता है। निजी पक्षकारों के द्वारा स्टाम्प रिवीजन प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी के रूप में उप पंजीयक एवं कलक्टर (मुद्रांक) पक्षकार होते है। राज्यपक्ष की ओर स्टाम्प रिवीजन पेश करने पर प्रार्थी के रूप में उप पंजीयक एवं अप्रार्थी के रूप में निजी पक्षकार एवं कलक्टर (मुद्रांक) पक्षकार के रूप में शामिल होते है। रिवीजन प्रस्तुत होने पर राजस्थान कर बोर्ड के द्वारा कलक्टर (मुद्रांक) की मूल पत्रावली, राजस्थान कर बोर्ड अजमेर के द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व मंगवायी जाती है। निर्णय पारित होने के उपरान्त निर्णय की प्रति सहित पत्रावली सहित सम्बन्धित कलक्टर (मुद्रांक) को पत्रावली पुनः लौटा दी जाती है।

उप पंजीयक स्टाम्प रिवीजन में राज्यपक्ष की ओर से मुख्य पक्षकार होने के कारण उनका यह दायित्व है कि राजस्थान कर बोर्ड अजमेर में विचाराधीन स्टाम्प रिवीजन में ठोस रक्षण/प्रतिरक्षण की कार्यवाही की जावे तथा विभाग की ओर से नियुक्त राजकीय अधिवक्ता से नियमित सम्पर्क में रहकर स्टाम्प रिवीजन में हुई दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी प्राप्त कर मुख्यालय को सूचित करावें। स्टाम्प रिवीजन में निर्णय पारित होने पर निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर राजकीय अधिवक्ता की राय के साथ मुख्यालय को अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

राजस्थान कर बोर्ड अजमेर के यहां विचाराधीन स्टाम्प रिवीजन में उप पंजीयकगण के द्वारा रक्षण/प्रतिरक्षण की कार्यवाही बाबत कोई रूचि नहीं ली जा रही है। तथा निर्णय की प्रतियां राजकीय अधिवक्ता की राय सहित मुख्यालय को नहीं भिजवायी जा रही है।

राजस्थान कर बोर्ड अजमेर के यहां स्टाम्प निगरानी की नवीनतम स्थिति की जानकारी राजस्थान कर बोर्ड अजमेर की वेबसाईट WWW.Rajstthan.Tax bord.ajmer से प्राप्त करने के साथ-साथ निम्न से भी सम्पर्क किया जा सकता है :-

क.सं.	नाम मय पद	मोबाईल नं.
1.	श्री आर.के. अजमेरा, अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता	9828054950
2.	श्री अनिल पोकरणा, उप राजकीय अधिवक्ता	9414252756
3.	श्री जमील जई, उप राजकीय अधिवक्ता	7742394786
4.	श्री डी.पी. औझा, उप राजकीय अधिवक्ता	9414379623
5.	श्री एन.के. वैद्य, उप राजकीय अधिवक्ता	9829436162
6.	श्री रामकरण सिंह, उप राजकीय अधिवक्ता	9414440125
7.	श्री निशान्त गौड़, कनिष्ठ विधि अधिकारी	9414415487
8.	श्री कुनाल कनौजिया, लिपिक ग्रेड प्रथम	9352006629

अतः समस्त उप पंजीयकगण को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान कर बोर्ड के यहां उनसे सम्बन्धित विचाराधीन स्टाम्प रिवीजन में दिन-प्रतिदिन हुई कार्यवाही की सूचना राजकीय अधिवक्ता के माध्यम से प्राप्त कर मुख्यालय को अवगत करवाया जावें। राजस्थान कर बोर्ड अजमेर के द्वारा स्टाम्प रिवीजन में निर्णय पारित करने पर, निर्णय की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर राजकीय अधिवक्ता की राय के साथ मुख्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। उक्त निर्देशों के अवहेलना की स्थिति में सम्बन्धित उप पंजीयक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जावेगी।

16/8/17

महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः 3136 2537-3136

दिनांकः 16-8-17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
6. संयुक्त निदेशक, (कम्प्यूटर) मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति, विभाग की वेबसाईट पर igrs.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
7. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान।
8. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
9. समस्त प्रभारी, आन्तरिक लेखा जॉच दल, मुख्यालय अजमेर।
10. निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।
11. समस्त शाखाऍ, मुख्यालय, अजमेर।

16/8/2017

उप विधि परामर्शी,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

F7-507-I